

दिनांक 16.08.2017 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

दिनांक 16.08.2017 को उपायुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्वप्रथम ट्रस्ट में अबतक प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों / विभागों से डी0एम0एफ0टी0 के तहत योजना से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर योजनावार विचार करते हुए प्रबंधकीय समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया-

(1) निरसा प्रखंड को ओ0डी0एफ0 करने का प्रस्ताव -

डी0एम0एफ0टी0 की निधि से निरसा प्रखंड को ओ0डी0एफ0 करने का प्रस्ताव प्रबंधकीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा इसे स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही पारित प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार राशि की विमुक्ति का प्रस्ताव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति हेतु न्यास परिषद की अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।


(2) एग्यारकुण्ड प्रखंड को ओ0डी0एफ0 करने का प्रस्ताव -


डी0एम0एफ0टी0 की निधि से एग्यारकुण्ड प्रखंड को ओ0डी0एफ0 करने का प्रस्ताव प्रबंधकीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा इसे स्वीकृति हेतु न्यास परिषद के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही पारित प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार राशि की विमुक्ति का प्रस्ताव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति हेतु न्यास परिषद की अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।


(3) अन्यान्य -


डी0एम0एफ0टी0 की निधि से विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्ति की प्रांक्रेथा के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय। मार्गदर्शन प्राप्त होने तक दिनांक 12.08.2017 को हुई विडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पूर्व की तरह आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही एजेंसियों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाय। एजेंसियों का दायित्व होगा कि वे सरकारी परिपत्रों एवं नियमों के आलोक में राशि का व्यय करेंगे।


अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


जिला पंचायत राज पदा0
धनबाद।



जिला खनिज पदाधिकारी,
धनबाद।


सिविल सर्जन
धनबाद।


वन प्रमण्डल पदा0
धनबाद।


उप विकास आयुक्त,
धनबाद।


वरीय पुलिस अधीक्षक
धनबाद।


उपायुक्त -सह- अध्यक्ष,
डी0एम0एफ0टी0, धनबाद।

ज्ञापांक- 63 दिनांक- 16-08-2017

प्रतिलिपि- धनबाद जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची / सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उप विकास आयुक्त -सह- सदस्य सचिव,
डी0एम0एफ0टी0, धनबाद।